

सरकार बनाम मदन

पन्नावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से पेशेकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी बाबजूद सूचना अनुपस्थित। पेशेकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने दोषार्थे बहस निवेदन किया कि आवंटनी मदन पुत्र बदरी जाति मछाजन निवासी महरवा को साम महरवा में स्थित खरारा नम्बर 2804 रकबा 1,26है0 भूमि आवंटन की गई थी। जिस पर आवंटनी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं करने के कारण उक्त आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

पेशेकार सरकार की बहस पर मदन किया गया तथा पन्नावली का अवलोकन किया गया। पन्नावली के अवलोकन पर सर्वप्रथम पाया गया कि प्रार्थी द्वारा जिस आवंटन के विरुद्ध उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त आवंटन की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नहीं की है, साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने यह कही भी अंकित नहीं किया है कि आवंटनी द्वारा किस प्रकार आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र त्रुटि पूर्ण होने के कारण स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी को पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पन्नावली फौसल शुमार मांगी जाकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।



अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापूर सिटी

